efUnj U;kl Jh ckck ukgj flg /kkyjk] ftyk fcyklij fgekpy in'k fiu dkM l[;k 174001 d ys[kvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vd{k.k vof/k 01-01-2008 l 31-12-2009

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों/अनुच्छेदों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई, कुछ पैरों के उत्तर सन्तोषजनक पाए गए व निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग के पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)–2(सी)(15)(14)–255/08–वोल्यूम–1–4608–दिनांक 26.08.08 की अनुपालना भी की गई व पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

%d% vd{k.k ifronu vof/k 20-06-05 l 31-12-07 rd

1	पैरा 5	समाप्त	(वार्षिक बजट नियमानुसार एवं निर्धारित फार्म पर तैयार न करने बारे पैरा पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 8(1)	समाप्त	(रिर्टन तैयार करने बारे नियम 34(2)–बी–पैरा पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 8(2)	निर्णीत	(गणना की प्रक्रिया तहसीलदार (नागरिक) की देखरेख में की जा रही है। पुष्टि कर ली गई है)
4	पैरा 10(2)	निर्णीत	(रसीदों का स्टॉक/उपयोग सुझाव अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ की गई)
5	पैरा 10(4)	निर्णीत	(सीधे तौर पर भुगतान पर रोक लगा दी गई है)
6	पैरा 10(5)	निर्णीत	(निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.08.08)
7	पैरा 10(6)	निर्णीत	(निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.08.08)
8	पैरा 10(7)	निर्णीत	अभिलेख तैयार करवाए गए (अंकेक्षण के दौरान पुष्टि)
9	पैरा 10(8)	निर्णीत	(नीलामी तिथियों को मन्दिर अधिकारी से सत्यापन करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई)
10	पैरा 10(9)	निर्णीत	(रोजगारी को हस्तगत रखने बारे सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त)
11	पैरा 10(10)	निर्णीत	दैनिक संग्रह रजिस्टर का सत्यापन मन्दिर अधिकारी दौरान कर दिया गया है)

12	पैरा 10(11)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(12)	निर्णीत	(अनाज की बिक्री की रसीदों को जारी करना शुरू कर दिया गया है)
14	पैरा 10(13)	अनिर्णीत	(गणना रजिस्टर श्री नयना देवी जी की तर्ज पर तैयार नहीं किया गया।)
15	पैरा 10(14)	निर्णीत	(बिना रसीद जारी किए सामग्री प्राप्त करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर सुझाव अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई है)
16	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	(अग्रिम रूप में भुगतान के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए)
17	पैरा 11(2)	अनिर्णीत	(अग्रिम रूप में भुगतान के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए)
18	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त मदों के दर विष्लेषण अंकेक्षण पर दर्षाए नहीं गए)
19	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	आयकर व सैल्स टैक्स राशि ₹20662/–को जमा करवाने बारे)
20	पैरा 13	निर्णीत	(5 क्विंटल बालन की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 3 पर की गई है पुष्टि कर ली गई है)
21	पैरा 14	निर्णीत	(विज्ञापन रजिस्टर तैयार करवा दिया गया है पुष्टि कर ली गई है)
22	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	(खुले बाजार से चांदी की पादुकाऐं तैयार करवाने बारे व मूल बिल प्रस्तुत–कोई कार्यवाही नहीं की गई)
23	पैरा 15(2)	अनिर्णीत	(खुले बाजार से चांदी की पादुकाऐं तैयार करवाने बारे व मूल बिल प्रस्तुत–कोई कार्यवाही नहीं की गई)
24	पैरा 16	निर्णीत	(स्टील अलमारी की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर (P.S.R) पृष्ठ 3 पर दर्ज की गई है)
25	पैरा 17	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियाँ (कैश वाऊचर) को (P.S.R) पृष्ठ 7 पर दर्ज की गई है)
26	पैरा 18	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियाँ (स्टील फर्नीचर) पृष्ठ 13 पर दर्ज है)
27	पैरा 19	अनिर्णीत	(प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं की गई)
28	पैरा 20	अनिर्णीत	(चल अचल रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया)

vad{k.k vof/k d nkjku fuEu vf/kdkjh ¼v/;{k efUnj U;kl½ ,o mud dk;l dky dk C;kjk fuEu l jgk %&

Øe l[;k	v/;{k dk uke	dk;dky vof/k
1	श्री पी0सी0 अकेला	17.04.2007 से 12.09.2008
2	श्री विनय सिंह ठाकुर	12.09.2008 से लगातार

Hkkx&nks

2 orleku ys[kk ijh{kk %&

मन्दिर न्यास श्री बाबा नाहर सिंह जी धौलरा, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखा अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009 तक का वर्तमान लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री यषवीर कुमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) व श्री देव राज रणौत, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.02.2010 से 25.02.2010 के दौरान धौलरा मन्दिर में किया गया। (केवल अवकाश के दिनों को छोड़ कर) लेखों की विस्तृत पड़ताल के लिए निम्न मासों का चयन किया गयाः–

vof/k	p;fur ekl
01.01.2008 से 31.12.08	5/08, 10/08
01.01.2009 से 31.12.09	1/09, 5/09

मन्दिर न्यास प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अंकेक्षण एवं परीक्षण हेतु जो रिकॉर्ड एवं अभिलेख प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का प्रारूपण भी तदानुसार ही किया गया। संस्थाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की अपूर्ण एवं अधूरी सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा अपितु अंकेक्षण का दायित्व उक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 foÙkh; fLFkfr %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखाओं की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

o"k 2008

ekg	ikO'k"k	iklr vk;	C;kt	;kx	fudklh	cd dk uke	[kkrk l0
31.12.07	3173300	–	–	3173300	–	(1)पंजाब नैषनल बैंक (2) स्टेट बैंक पटियाला 26.03.09 को खोला गया।	18903166

1/08	–	111318	शून्य	111318	133146
2/08	–	146280	शून्य	146280	23815
3/08	–	141810	52941	194751	39860
4/08	–	281427	शून्य	281427	30402
5/08	–	268389	शून्य	268329	41219
6/08	–	284853	शून्य	284853	238972
7/08	–	245168	शून्य	245168	55524
8/08	–	107104	शून्य	107104	39465
9/08	–	60385	65149	125534	39032
10/08	–	211444	शून्य	211444	321667
11/08	–	151552	शून्य	151552	71332
12/08	–	251900	शून्य	251900	51006
;kx	3173300	226163 0	11809 0	555788 3	108544 0

o"kZ 2008 dh foÙkh; fLFkfr %&

Ø0 l0	vk;	jkf'k	Ø0 l0	0;;	jkf'k
1	प्रारम्भिक शेष	3173300	1	वर्ष 2008 के दौरान व्यय + चैक संख्या 342581, दिनांक 20.12.08 जारी किया गया अतः कुल व्यय	1085440 8500 1093940
2	वर्ष 2008 में चढ़त राशि	1727463			
3	ब्याज की प्राप्ति	118090			
4	अनुदान राशि	–षून्य–			
5	अन्य आय	534170			
6	दिनांक 31.12.08 की चढ़त राशि जो रोकड़ बही से पृष्ठ 48 पर दर्ज है	4860	2	अन्तषेष	4463940
	;kx	5557883		;kx	5557883

cSd lek/kku fooj.khdk %&

1	पंजाब नैषनल बैंक शाखा बिलासपुर खाता संख्या 0108903166 दिनांक 31.12.08 को जमा राशि	4467580
2	रोकड़ बही अनुसार शेष	4459080
3	अन्तर	8500
4	चैक संख्या 342581, दिनांक 20.12.08 को जारी किया गया परन्तु दिनांक 31.12. 2008 तक प्रस्तुत न करके दिनांक 10.01.09 को प्रस्तुत किया गया	8500
	इस प्रकार अन्तर	–शून्य–

o"kZ 2009

ekg	ikO'k"k	iklr vk;	C;kt	;kx	fudklh	cSd dk uke	[kkrk l0
31.12.08	–	–	–	–	–		
1/09	–	141785	शून्य	141785	277295	पंजाब नैषनल बैंक	3166
2/09	–	159622	शून्य	159622	202560	स्टेट बैंक पटियाला	381648
3/09	–	224931	74501	299432	84910		
4/09	–	205141	शून्य	205141	40190		
5/09	–	323934	शून्य	323934	67307		
6/09	–	420041	3146	423187	25976		
7/09	–	206181	शून्य	206181	46742		
8/09	–	182073	शून्य	182073	105997		
9/09	–	152197	79465	231662	113744		
10/09	–	247660	शून्य	247660	70668		
11/09	–	178579	शून्य	178579	52320		
12/09	–	318995	10669	329664	67056		
;kx	4463940	2761139	167781	2928920	1154765		

o"kZ 2009 dh vk; ,oa O;; fooj.kdk %&

Ø0 l0	vk;	jkf'k	Ø0 l0	O;;	jkf'k

1	प्रारम्भिक शेष	4463940	1	वर्ष 2009 का व्यय	1154765
2	वर्ष 2009 में चढ़त राशि	2255060			
3	ब्याज की प्राप्ती	167781			
4	अनुदान राशि	कोई नहीं			
5	अन्य राशि आय	506079	2	अन्तषेष	6238095
	;ksx	7392860		;ksx	7392860

4 vid{k.k 'kqYd %&

बाबा नाहर सिंह जी के वार्षिक लेखों अवधि 01.01.2008 से 31.12.09 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹11,200/– बनता है। अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 30, दिनांक 24.02.2010 एवं पत्र संख्या 32, वृत बिलासपुर दिनांक 23.04.10 द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–9 को भिजवाने का अनुग्रह किया गया है।

5 okf"kZd ctV %&

अंकेक्षण के दौरान जाँच पड़ताल पर पाया गया है कि मन्दिर न्यास श्री बाबा नाहर सिंह के अधिग्रहण उपरान्त बजट को तैयार नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक एवं पूर्व विन्यास के सैक्षन 22 के अन्तर्गत वर्षवार बजट तैयार करना अनिवार्य है जिसे निर्धारित फार्म 'डी' पर तैयार करना सुनिष्चित करें तथा वार्षिक बजट आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करके इसका अनुमोदन करवाया जाए। इसके अतिरिक्त असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या–एल0ए0 भाषा–बी–(6), दिनांक 5 जून, 2007 के अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास (संषोधन) विधेयक 2007 में धारा 22 का संषोधन में मूल अधिनियम की धारा की उप धारा (5) के पष्चात उप धारा को निम्न से अन्त स्थापित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि लेखा परीक्षा और लेखा विवरणीयां, वार्षिक बजट के अनुमोदन को भी प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जाए। अतः सुझाव दिया जाता है कि मूल नियम की धारा–22 की उप धारा (5) का अनुसरण सुनिष्चित किया जाए।

o"kZokj vk; ,oa O;; dk C;kSjk ,oa fo'ys"k.k %&

मन्दिर न्यास से प्राप्त आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा :–

o"kZ	vk;	O;;
2005	6,73,666/–	1,01,628/–

2006	16,50,239 / —	1,90,229 / —
2007	20,75,349 / —	10,43,039 / —
2008	22,61,630 / —	10,85,440 / —
2009	27,61,139 / —	11,54,765 / —

वर्णित आकडों से स्पष्ट होता है कि मन्दिर न्यास के वर्ष 2008 से वर्ष 2009 तक की आय में दिन प्रति दिन बढ़ौतरी पाई गई जिसका मुख्य कारण श्रद्धालुओं की बाबा जी के प्रति आस्था व प्रत्येक मंगलवार को मेला व दान में खाद्यान, चांदी व बकरों की नीलामी से प्राप्त आय व अन्य धार्मिक आयोजन का न्यास परिसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न होना है। अधिग्रहण के पष्चात निर्माण कार्य एवं मन्दिर का सौन्दर्य करण करना मुख्य उद्देष्य रहा ।

6 lkuk %& मन्दिर न्यास कार्यालय में प्राप्त सोने का विवरण निम्न से था परिशिष्ट ''ए'' संलग्न है :–

		fdyk xke	xke	feyh xke
1	प्रारम्भिक शेष (01.01.2008 को)	शून्य	0.18	00
2	वर्ष के दौरान प्राप्ती 2008–2009	शून्य	शून्य	शून्य
	;kx	'kU;	0-18	-00

pkanh %& चांदी स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि तक चांदी की कुल मात्रा 16 किलो 180 ग्राम व 220 मिली ग्राम स्टोक में पाई गई थी विवरण निम्न से है। :–

		fdyk xke	xke	feyh xke
1	प्रारम्भिक शेष (2007 तक)	13	0.29	.870
2	वर्ष 2008 में कुल प्राप्ती	1	600	.350
3	वर्ष 2009 में कुल प्राप्ती	1	550	.000
	dqy ;kx	16	180	-220

7 vk; ,oa 0;; fjVuZ rS;kj u djuk ckjs %&

लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि लेखों से सम्बन्धित आय एवं व्यय रिटर्न अधिनियम 1984 के नियम 34(2)(बी) को फार्म 'ई' पर तिमाही बार कर तैयार कर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा प्रारूपित किया गया था, परन्तु अभिलेखों का संपरीक्षा सुझाव के उपरान्त भी विहित प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः परामर्ष दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना शीघ्र अमल में लाना सुनिष्चित किया जाए।

8 fuo'k %& अंकेक्षण अवधि तक सावधि जमा में कोई निवेश नहीं किया गया। इस संदर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था में व्यय के दृष्टिगत आवष्यक बजट रखा जाए व शेष राशि सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेश की जाए ताकि ब्याज की ऊंची दर पर प्राप्ती से मन्दिर न्यास को अधिक आय प्राप्त हो सके।

9 LFkkiuk %& मन्दिर न्यास श्री बाबा नाहर सिंह जी के अधिग्रहण से पूर्व व ग्रहण के पष्चात मन्दिर कोष से आहरित वेतन भोगी कर्मचारियों के पद एवं उनकी संख्या का विवरण निम्न से है :–

Ø0 l0	inuke	vf/kxg.k dk le; in	orrueku	Lohd`r in	orru eku	fVIi.kh
1	चौकीदार	2	3300/– प्रति माह	कोई नहीं	कोई नहीं	अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कर्मचारियों को ₹5000/– प्रति माह देने बारे प्रस्तावित स्वीकृति दिनांक 01.01.2010
2	सेवादार	2	3300/– प्रति माह	कोई नहीं	कोई नहीं	
3	सफाई कर्मचारी	2	3300/– प्रति माह	कोई नहीं	कोई नहीं	

10 [kkrk l[;k 65053381648 %& खाता संख्या 65053381648 जोकि भारतीय स्टेट बैंक पटियाला शाखा बिलासपुर में दिनांक 26.03.2009 को खोला गया था व माह 3/09, 4/09 व 5/09 के दौरान गणना रजिस्टर से प्राप्त राशियां इस खाते में डाली गई व 6/09 से 12/09 में ब्याज का अर्जन ही प्राप्त किया गया। व दिनांक 31.03.2009 को खाते में शुद्ध राशि ₹6,20,322/–शेष पाए गए। जिसकी पुष्टि कर ली गई।

मन्दिर कार्यालय द्वारा श्री बाबा नाहर सिंह के लेखों के लिए दो बैंकों में खाते खोले गए जबकि पूर्व में पंजाब नैषनल बैंक का एक ही खाता था। लेखो के लिए दो खाते खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा खाता संख्या 65053381648 को शीघ्र बन्द कर शेष पड़ी राशि को खाता संख्या 3166 में डाला जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

11 ¼1½ njHkk"k fcy dk Hkxrku %&

fcy l[;k 2] ekg 1@08] jkf'k ₹1150@&

उपरोक्त बिल संख्या द्वारा राशि ₹1150/–का भुगतान भारत संचार निगम लिमटेड बिलासपुर के बिल संख्या 7735976, दिनांक 05.12.07 के एवज़ में (चैक संख्या 342536, दिनांक 02.01.2008)

किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि बिल को अदा करने की वास्तविक दिनांक 26.12.2007 थी व भुगतान भी ₹1100/–ही देय था जबकि प्रस्तावित दिनांक तक भुगतान न करने पर ₹50/–का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वूसली अपेक्षित है। यहां पर स्पष्ट किया जाता है अवधि के दौरान दूरभाष बिलों की पूर्णतया जाँच की जाए व अधिक राशि की गणना कर जो भी वस्तुस्थिति बनती है आगामी अंकेक्षण पर जाँच करवाना सुनिष्चित करें।

¼2½ <u>ckck th ds fy, flagklu dk Ø;</u> ½&

fcy la[;k 3] ekg 1@08] jkf'k ₹1]04]958@&

उपरोक्त वाऊचर संख्या/बिल द्वारा मैसर्ज़ षिवम् इण्डस्ट्रीज मण्डी को उन के बिल संख्या 40, दिनांक 24.10.2007 द्वारा बाबा जी के लिए चांदी का सिंहासन के एवज़ में राशि ₹1,04,958/–का भुगतान किया दर्षाया है जिसके लिए निम्न टिप्पणियां अपेक्षित हैं :–

(1) चांदी के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2007 में 13 किलो .029 ग्राम . 870 मि0ग्राम चांदी स्टॉक शेष थी तो खुले बाजार से चांदी का क्रय कर सिंहासन तैयार करवाना उचित प्रतीत नहीं होता व इस प्रकार बाजार से 4 किलो 958 ग्राम की मात्रा पर (₹21000/–प्रति किलो की दर) व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) कार्य हेतु औपचारिकताएं जैसे कुटेषन, स्थानीय बाजार से सराफों की दर, कमेटी का गठन एवं सहमति व अन्य अभिलेख पूर्ण नहीं किए गए।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि विभाग की अधिसूचना संख्या –(एल0ए0)भाषा–6–2007 के अनुच्छेद–200 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए हिन्दू धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संषोधन) विधेयक–2007 की मूल धारा 5 की उपधारा 2 के पष्चात उपधारा स्थापित की गई। जिसके क्रमांक 4(5) में आयुक्त को प्रत्येक मामले में ₹50000/–तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अतः इस प्रकरण में भी स्वीकृति मुख्य आयुक्त मन्दिर से अपेक्षित हैं अतः व्यय को नियमित करवाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करना सुनिष्चित करें।

(4) पावती रसीद दर्षाई नहीं गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

12 <u>xg j{kdks ds osru Hkqxrku ckjs</u> ½&

okÅpj la[;k 35] ekg 7@08] jkf'k ₹17]404@&

उपरोक्त बिल संख्या के अवलोकन पर पाया गया कि माह 01.06.2008 से 30.06.2008 तक मन्दिर न्यास धौलरा में गृह रक्षकों की सेवाओं के एवज़ में आदेषक गृह रक्षक पांचवीं वाहिनी बिलासपुर

के पत्र संख्या होम/एच0सी0–वी0एस0सी0डी0–(71)–1995–दिनांक 30.06.08 को मन्दिर अधिकारी को राशि ₹24,816/–का भुगतान आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें मन्दिर में तैनात 4 गृहरक्षकों व उनका यात्रा भत्ता सम्मिलित था। विवरण निम्न से था :–

1	4 गृहरक्षकों का वेतन	15,600/–	
2	2 दिन का वेतन मदन लाल	265/–	दिनांक 12.02.08 व 25.05.08
3	यात्रा भत्ता महन्त राम	57/–	
4	राजपाल गृह रक्षक वेतन बिल	260/–	दिनांक 12.02.08 व 25.05.08
5	यात्रा भत्ता बिल	49/–	
6	महन्त राम वेतन बिल	133/–	दिनांक 12.02.08
7	राजपाल गृहरक्षक	1040/–	दिनांक 01.04.08 से 08.04.08 तक टिप्पणी दिनांक 30.03.08 से 08.04.08 तक जोनल हस्पताल में दाखिल था।
	;kx	17]404@&	

इस प्रकार ₹17,404/–का भुगतान किया गया जबकि राजपाल गृह रक्षक दिनांक 01.04.08 से 08.04.08 तक हस्पताल में भर्ती था व उक्त दिनांकों के उसके उपस्थिति मस्ट्रोल में अंकित दर्षाई गई है व इस प्रकार ₹1040/–का अनियमित भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी को ₹1013/–अदा करने के आदेष भी पारित किए गए व भुगतान चैक संख्या 342568, दिनांक 01.08.08 को किया दर्षाया है नियमानुसार मन्दिर न्यास में गृह रक्षकों को नियुक्ति गृह विभाग के आदेष अनुसार तीन माहों तक ही रखी गई है व सरकार द्वारा दैनिकी दर अनुसार ही भुगतान किया जाता है व भुगतान भी कार्य दिवसों की उपस्थिति अनुसार देय है।

अतः ₹1040/–की अपेक्षित वसूली शीघ्र करके न्यास के खाते में डाली जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

13 efUnj U;kl dk ,d dejk ij vukf/kd`r :Ik ls dCtk ckjs%&

जाँच पड़ताल पर पाया गया कि घाम स्थल के साथ मन्दिर न्यास के दो कमरे निर्मित हैं। मन्दिर के अधिग्रहण से पूर्व मन्दिर कमेटी द्वारा पुजारीयों के 3 परिवारों को 2 माह के लिए पूजा अर्चना एवं अन्य विधिकरण के लिए यह कमरे आबंटित किए गए अधिग्रहरण के पष्चात एक कमरा एक ही पुजारी वर्ग के तीन भाईयों द्वारा पूर्ण रूप से कब्जा कर रिहायष रखी गई व अन्य कमरों में अन्य पुजारी वर्ग के परिवार पूजा अर्चना के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक कमरा जिसमें ओम प्रकाष, प्रेम

लाल, विनोद कुमार रहता है जिसमें न्यास द्वारा बिजली पानी का प्रबन्ध भी किया गया है परन्तु बिजली की आपूर्ति एवं बिल की अदायगी न्यास द्वारा की जा रही है। जिसे सम्बन्धित बारीदारों से वसूला जाना सुनिष्चित किया जाए।

14 x`g j{kdksa dh efUnj esa rSukrh o mudh lsokvksa ds lanHkZ esa %&

अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री बाबा नाहर सिंह जी घौलरा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेष में भी मेले के दौरान एवं अन्य कार्य दिवस पर दिन प्रतिदिन मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं, बाबा जी के दरबार में प्रतिस्थपित गल्लों में चढ़ने वाली चढ़त की निगरानी के लिए पंचम वाहिनी बिलासपुर से 4–5 गृहरक्षकों की सेवाएं ली। दी जा रही हैं। व इनके वेतन एवं अन्य भत्तों की अदायगी भी मन्दिर न्यास की आय से ही की जाती है। जोकि वार्षिक 2 लाख या अढ़ाई लाख के करीब बनती है। धौलरा मन्दिर बिलासपुर वासियों का एक मुख्य मन्दिर है व लोगों की बाबा जी के प्रति काफी आस्था है व दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या में बढ़ौतरी के साथ मन्दिर की आय में बढ़ौतरी पाई गई है। मन्दिर न्यास में अधिग्रहण के पष्चात मन्दिर न्यास का कोई सेवादार/चौकीदार नियुक्त नहीं है। जो सेवादार/कर्मचारी न्यास में कार्यरत है उनसे केवल दिन में, होने वाले क्रिया कलाप जैसे मंगलवार के दिन गल्लों की गणना, सामग्री को स्टॉक में दर्ज करना, बकरे, छेलू की नीलामी, गणना उपरान्त आगामी कार्य दिवस पर राषि को बैंक में जमा करवाना, कार्य उपरान्त दूर दूर से आने वाले श्रद्धालूओं को सराय में कमरा व अन्य सामान का आबंटन शादी विवाह एवं धाम के दिनों में वर्तन इत्यादि उपलब्ध करवाना व रात्री के समय चौकीदार का कार्य सम्पन्न भी करवाया जाता है।

नाहर सिंह मन्दिर मे माह के प्रत्येक मंगलवार को काफी भीड़ रहती है व सप्ताह के अन्य दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम रहती है। सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास में गृह विभाग, पंचम बहिनी बिलासपुर हिमाचल प्रदेष से गृह रक्षकों की नियुक्ति के दौरान रात्रि डियुटी का प्रावधान रखा जाए जैसा कि हिमाचल प्रदेष सरकार के अन्य विभागों जैसे कि आयुक्त कार्यालय, जिला खण्ड षिक्षा विभाग, हस्पताल में गृह रक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। इससे एक तरफ न्यास के दैनिक भोगी कर्मचारीयों की कार्य प्रणाली में अच्छा प्रभाव पड़ेगा व मन्दिर की सुरक्षा भी एक जिम्मेवार संस्था के पास सुरक्षित रहेगी।

15 Nsyw@cdjksa dh fuykeh cktkj %& अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि जो भी छेलू/बकरा मन्दिर में चढ़ाया जाता है उसकी निलामी में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं :–

¼i½ निम्नलिखित निलामी उठाने वालों के हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग निलामी में शामिल नहीं थे तथा अपनों को लाभ पहुंचाने की कोषिष की गई है, जिस बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

uke	fnukd	vU; fooj.k	fuykeh dh jkf'k
श्री दिला राम	29.04.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹425/–
श्री दिला राम	29.04.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹425/–
श्री दिला राम	29.04.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹525/–
श्री दिला राम	29.04.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹825/–
श्री दिला राम	29.04.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹425/–
श्री सीता राम	06.05.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹225/–
श्री गांधी राम	06.05.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹525/–
श्री गांधी राम	10.06.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹225/–
श्री सुषील कुमार	02.12.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹225/–
श्री सतपाल	02.12.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹425/–
श्री मस्तराम	02.12.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹1025/–
श्री अनन्त राम	02.12.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹225/–
श्री गांधी राम	29.11.08	हस्ताक्षर नहीं करवाये गए हैं	₹650/–

अतः भविष्य में इसका विषेष ध्यान रखा जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षायी जाए।

¼ii½ निम्नलिखित लोगों को सरकारी बोली के उपरान्त एक ही बोली बोलने वाले को छेलूओं की निलामी की गई है जो कि अनियमित है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अपने लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु यह कार्य किया गया है अतः इस संदर्भ में वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण में अवगत करें।

Ckyhnkrk dk uke	fnukd	ljdkjh cksyh	fuykeh dh jkf'k
श्री शंकर	22.04.08	200/–	₹225/–
श्री असलम	22.04.08	500/–	₹525/–
श्री होषियार सिंह	22.04.08	400/–	₹425/–

श्री असलम	22.04.08	500/—	₹525/—
श्री रोषन लाल	22.04.08	500/—	₹525/—
श्री असलम	22.04.08	1500/—	₹1525/—
श्री गांधी राम	29.04.08	200/—	₹225/—
श्री बाबू राम	29.04.08	200/—	₹225/—
श्री दिला राम	29.04.08	400/—	₹425/—
श्री दिला राम	29.04.08	500/—	₹525/—
श्री दिला राम	29.04.08	800/—	₹825/—
श्री दिला राम	29.04.08	400/—	₹425/—
श्री राज कुमार	29.04.08	1500/—	₹1525/—
श्री असलम	29.04.08	2000/—	₹2025/—
श्री सीता राम	06.05.08	200/—	₹225/—
श्री गांधी राम	06.05.08	500/—	₹525/—
श्रीमति कौषल्या देवी	06.05.08	400/—	₹425/—
श्री सीता राम	06.05.08	600/—	₹650/—
श्री असलम	06.05.08	1200/—	₹1225/—
श्री राम लाल	20.05.08	200/—	₹225/—
श्रीमति रोषनी देवी	20.05.08	400/—	₹425/—
श्री तृप्ता देवी	20.05.08	200/—	₹225/—
श्री मुनीर	20.05.08	1500/—	₹1550/—
श्री कृष्ण लाल	20.05.08	400/—	₹450/—
श्री कृष्ण लाल	20.05.08	400/—	₹450/—
श्री गांधी राम	10.06.08	200/—	₹225/—
श्री रमेष	10.06.08	400/—	₹425/—
श्रीमति कमला देवी	17.06.08	200/—	₹225/—
श्री बाबू राम	15.07.08		
श्री सुनील	15.07.08	300/—	₹325/—

श्री असलम	22.07.08	400/—	₹425/—
श्री जीत राम	22.07.08	400/—	₹425/—
श्री राजिन्द्र	22.07.08	700/—	₹725/—
श्री सुनील	02.12.08	200/—	₹225/—
श्री सतपाल	02.12.08	400/—	₹425/—
श्री मस्त राम	02.12.08	1000/—	₹1025/—
श्री अनन्त राम	02.12.08	200/—	₹225/—
श्री असलम	29.07.08	600/—	₹650/—
श्री रोषन	05.08.08	2800/—	₹2825/—
श्री ज्ञान चन्द	19.08.08	200/—	₹225/—
श्री यूसुफ	07.10.08	400/—	₹425/—
श्री यूसुफ	07.10.08	400/—	₹425/—
श्री यूसुफ	07.10.08	400/—	₹425/—
श्री सुनील	07.10.08	800/—	₹825/—
श्री रविन्द्र	07.10.08	200/—	₹225/—
श्री कालू राम	14.10.08	300/—	₹325/—
श्री गांधी राम	04.11.08	600/—	₹650/—
श्रीमति लीला देवी	18.11.08	200/—	₹225/—
श्री फूला देवी	18.11.08	200/—	₹225/—
श्री जय पाल	25.11.08	200/—	₹250/—
श्री राजकुमार	25.11.08	200/—	₹225/—
श्री जय पाल	25.11.08	500/—	₹525/—
श्री रमेष चन्द	25.11.08	400/—	₹500/—
श्री सुषील	25.11.08	400/—	₹500/—
श्री सुषील	02.12.08	200/—	₹225/—
श्री मस्त राम	02.12.08	1000/—	₹1025/—
श्री अनन्त राम	02.12.08	200/—	₹225/—

अतः इस प्रक्रिया को भविष्य में बन्द करना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षायी जाए।

¼ii½ निम्नलिखित राषियाँ छेलूओं की निलामी के बतौर प्राप्त की गई है लेकिन इन राषियों की पावती रसीदें नहीं काटी गई है तथा सीधे तौर पर ही जमा करवा दिया गया है जिससे वास्तविक प्राप्त राषि का सही पता लगाना कठिन है तथा राषियों के दुर्विनियोजन होने की संभावना रहती है।

fnukd	ikIr jkf'k
25.03.08	9,250/—
22.04.08	10,250/—
dqy ;ksx	19]500@&

अतः भविष्य में जो भी राषि जिस किसी व्यक्ति से प्राप्त की जाये उनकी पावती रसीद काट करके ही मन्दिर खाते में जमा करवाना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्षायी जाए।

16 jlhn dks jí djus ckjs %&

रसीद संख्याः 2653, दिनांक 17.07.09 जो कि श्री हेम राज जी के नाम से ₹400/—की काटी गई है जिसके उपर रद्द करने का कारण नहीं दर्षाया गया है तथा न ही मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया गया है जिससे ऐसा अभास होता है कि इस राषि का दुर्विनियोजन किया गया है। अतः इस राषि को दोषी कर्मचारी से वसूल करके मन्दिर के खाते में जमा करवाया जाए अन्यथा इस रसीद के उपर रद्द करने का कारण दर्षा करके उसे मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए तथा भविष्य में भी इसका विषेष ध्यान रखा जाए।

17 jlhn@dwiu la[;k dk jksdM+ cgh esa u n'kkZ;s tkus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह देखने मे आया है कि दिनांक 01.01.08 से लगातार जो राषि रसीद/कूपन संख्या के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे मन्दिर न्यास की रोकड़ बही में नहीं दर्षाया जा रहा है जिससे यह पता लगाना कि अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राषि किन—किन रसीदों/कूपनों द्वारा किन—किन तिथियों को प्राप्त की गई है, कठिन है। अतः भविष्य में इनका दर्षाना सुनिष्चित करें।

18 dwiuksa dks Niokus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान यह देखने मे आया है कि मन्दिर न्यास द्वारा 01.01.09 से लगातार पहले की तरह ₹50, ₹100, ₹500 तथा ₹1100 की राषि के कूपन नहीं छपवाये जा रहे हैं। अतः भविष्य में उक्त कूपनों को छपवाना सुनिष्चित करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षायी जाये।

19 Lohd`fr dk fcuk Hkqxrku djus ckjs %&

अवलोकन पर पाया गया कि निम्न व्यय का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया है जो कि उचित नहीं पाया गया, अब कार्योत्तर स्वीकृति लेकर व्यय को नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत किया जाए।

Hkqxrku dk iz;kstu	ftl Hkqxrku fd;k x;k	fnukad	jkf'k
एक दिन का वेतन	छोटू राम गृह रक्षक नं0 515–31	15.02.09	150 / –
बस किराया	छोटू राम गृह रक्षक नं0 515–31	16.03.09	38 / –
एक दिन का वेतन	किशन चन्द गृहरक्षक नं0 512–33	17.03.09	150 / –
बस किराया	किशन चन्द गृहरक्षक नं0 512–33	17.03.09	40 / –
दुरभाष बिल की अदायगी	भारत दूर संचार निगम	31.05.09	1084 / –
		;ksx	1462@&

20 Yk?kq vkifÙk fooj.khdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई।

21 lkjka'k %& लेखाओं में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

i`"Bkadu la[;k%&फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)256 / 08–खण्ड–7, दिनांक, षिमला–171009.

izfrfyfi %& निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास बाबा श्री नाहर सिंह जी धौलरा, द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर, दियारा, सैक्टर बिलासपरु, जिला बिलासपुर को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र प्रेषित करें।

(2) उपायुक्त एवं सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

(3) निदेषक, (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

(4) आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuq dekj ?kbZ½